

(for linear projects)

Government of Chhattisgarh

Office of the District Collector kondagaon (C.G.)

No. 551

Dated. 12.10.2022

To WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No.11-9/98-FC (pt.) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Right) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in linear projects, it is certified that **0.484 hectare** of forest land of **compartment no. 795** proposed to be diverted in favour of **Public Works Department Kondagaon** (name of user agency) for **Construction of Kondagaon Bypass road** (purpose for diversion of forest land) in **Kondagaon** district falls within jurisdiction of **Khutdobra** village(s) in **Kondagaon** tehsils.

It is further certified that :

- (a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **0.484 hectares** of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee(s), Gram Sabha(s), Sub-Division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure **B to S**.
- (b) the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the gram Sabhas have given their consent to it;
- (c) the proposal does not involve recognized rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Encls.: As above



(DEEPAK SONI)

Collector
District Kondagaon(C.G.)

प्रमाण पत्र
प्रादर्श-"स"

कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग कोण्डागांव को कोण्डागांव बाईपास मार्ग निर्माण हेतु तहसील कोण्डागांव में प्रभावित वन भूमि के कक्ष क्र. PF-795, PF-794, PF-777 एवं RF-793 (कुल रकबा 9.304 हे०) में वन भूमि व्यपवर्तन ग्राम खुटडोबरा कक्ष क्र. 795 प्रभावित कुल रकबा 0.484 हे० वन भूमि के प्रकरण में अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 का पालन प्रतिवेदन।

1. प्रमाणित किया जाता है कि अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 में नियत सम्पूर्ण प्रक्रिया का पालन कर अधिकारों को स्थापित किया गया है तथा सम्पूर्ण प्रस्तावित क्षेत्र की राजस्व वन भूमि/वन भूमि कक्ष क्र. 795 कुल रकबा 0.484 हे० जो इस कार्य हेतु व्यपवर्तित की जानी है तथा ग्राम खुटडोबरा तहसील कोण्डागांव में स्थित है तदनुसार यह कार्यवाही पूर्ण की गई है।

ग्राम सभा की बैठक एवं उसमें पारित प्रस्ताव दिनांक 22.08.2019 (प्रादर्श-"ब") द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया गया है।

2. प्रमाणित किया जाता है कि उक्त प्रकरण के प्रस्ताव के संबंध में ग्राम पंचायत कोकोड़ी की बैठक दिनांक 22.08.2019 को सरपंच की अध्यक्षता में आयोजित किया गया था जिसमें 50 प्रतिशत सदस्य उपस्थित थे जिनको परियोजना के कियान्वयन एवं प्रकरण के पूर्ण विवरण तथा प्रभाव से अवगत कराकर विस्तार से समझाईश हिन्दी एवं स्थानीय भाषा में बताया गया है। यह पाया गया कि इस क्षेत्र में उपरोक्त अधिनियम के तहत वन अधिकार की मान्यता पत्र की प्राप्ति रखने वाले व्यक्ति कोई नहीं है।

अथवा

प्रस्तावित वन क्षेत्र में प्रदत्त वन अधिकार मान्यता पत्र धारकों की संख्या ग्रामवार निम्नानुसार है।

क्रमांक	ग्राम का नाम	वन अधिकार मान्यता पत्र धारक का नाम	प्रभावित रकबा (हे०मे०)
1	खुटडोबरा	लक्ष्मण / जगनाथ	0.039
2		महादेव / जडीराम	0.075
3		तेतर / वान्डाराम	0.071
4		सुकचन्द / बुधराम	0.091
5		सोनिया / सनत	0.087
6		जगगूराम / कानसाय	0.121
कुल		06	0.484

3. यह प्रमाणित किया जाता है कि जो भी चर्चा एवं निर्णय लिए गए उसमें ग्राम सभा के न्यूनतम 50 प्रतिशत सदस्यों की उपस्थिति का कोरम पूर्ण था।

4. यह प्रमाणित किया जाता है कि सयुक्त सत्यापन प्रतिवेदन एवं ग्राम सभा कोकोड़ी के प्रस्ताव दिनांक 22.08.2019 के अनुसार ऐसे विलुप्तप्राय जनजाति समूह (पी.टी.जी.) के सदस्य व्यपवर्तन हेतु प्रश्नाधीन वन भूमि निवासरत नहीं है, जिनका वन अधिकार अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम -2006 की धारा -3 (1) (e) अन्तर्गत विशेष रूप से संरक्षित रखना है।

/2/

5. संयुक्त सत्यापन प्रतिवेदन एवं ग्राम सभा कोकोड़ी दिनांक 22.08.2019 के संकल्पों के आधार पर यह प्रमाणित किया जाता है कि व्यपवर्तन के लिए प्रस्तावित वन भूमि पर अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम- 2006 की धारा-3(2) अन्तर्गत शासन द्वारा संचालित कोई सुविधा विद्यमान नहीं है।

(पुष्पेन्द्र कुमार श्रीणा)

कलेक्टर

जिला कोण्डागांव (छ.ग.)